भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4619

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र में गैर-विद्युतीकृत गाँव

4619. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में ऐसे गाँवों और बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है या जो विशेष रूप से दूरदराज, आदिवासी और वन क्षेत्रों में अनियमित और अनिश्चित बिजली आपूर्ति का सामना कर रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र में, विशेष रूप से गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, अमरावती के मेलघाट क्षेत्र और अन्य आदिवासी बहुल या वन सीमांत क्षेत्रों में ऐसे अविद्युतीकृत या अल्पविद्युतीकृत गाँवों और बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों में स्थित बस्तियों तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सहित 100% गाँव और घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समय-सीमा या चरण-वार कार्ययोजना निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों, वनवासी आबादी और आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग, कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और दूरस्थ, आदिवासी तथा वन क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू हैं।

भारत सरकार ने पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से और वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है ताकि उन्हें, सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 80 गाँव शामिल हैं (महाराष्ट्र का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है)। डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 15,17,922 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत, विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और व्यवहार्यता के आधार पर, सभी छूटे हुए घरों को शामिल करने के लिए विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। जहाँ भी व्यवहार्य नहीं पाया गया, वहाँ नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.64 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,513 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी जा चुकी है, (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है) जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 17,529 घर शामिल हैं (महाराष्ट्र का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है)। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी व्यवहार्य हो,वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के स्कीम अवधि के अंत तक पूरा होने की अपेक्षा है।

इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के दौरान विद्युतीकृत महाराष्ट्र के गांवों का विवरण

जिला	**विद्युतीकृत गांवों की संख्या**
अमरावती	1
गडचिरोली	51
नंदुरबार	25
रायगढ़	1
थाने	1
यवतमाल	1
कुल योग	**80**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-II

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत राज्यवार घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृति विवरण			कुल (घर + सार्वजनिक स्थान) विद्युतीकृत
		व्यय	जीबीएस	कुल (घर + सार्वजनिक स्थान)	
1	आंध्र प्रदेश	161	97	46,356	42,749
2	अरुणाचल प्रदेश	76	68	10,136	7
3	असम	786	707	1,27,111	0
4	बिहार	301	180	42,584	0
5	छत्तीसगढ़	423	254	80,734	9,031
6	गुजरात	0	0	0	6,626
7	हिमाचल प्रदेश	7	6	100	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	197	177	29,183	0
9	झारखंड	206	124	40,454	5,948
10	कर्नाटक	36	22	5,844	1,660
11	केरल	7	4	1,482	448
12	मध्य प्रदेश	459	275	90,265	24,751
13	महाराष्ट्र	57	34	17,529	15,044
14	मणिपुर	214	193	36,972	0
15	मेघालय	436	392	50,501	0
16	मिजोरम	80	72	15,167	0
17	नागालैंड	70	63	10,004	0
18	ओडिशा	0	0	0	2,588
19	राजस्थान	1765	1059	4,39,372	95,986
20	तमिलनाडु	30	18	8,603	6,348
21	तेलंगाना	120	72	31,081	5,871
22	त्रिपुरा	105	94	19,853	11,835
23	उत्तर प्रदेश	964	579	2,58,700	245
24	उत्तराखंड	15	13	2,049	742
25	पश्चिम बंगाल	-	-	-	3,372
	कुल	**6513**	**4503**	**13,64,080**	**2,33,251**

नोट: गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी घरों को राज्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जा रहा है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत महाराष्ट्र के घरों का विवरण

जिला	स्वीकृत घरों की संख्या
अहिल्यानगर	579
अहमदनगर	161
अकोला	103
अमरावती	13
बीड	262
भंडारा	2
बुलढाना	538
सी.संभाजीनगर	103
चंद्रपुर	508
धुले	411
गडचिरोली	495
गोंदिया	185
हिंगोली	818
जलगांव	384
जलना	78
लातूर	42
नांदेड़	372
नासिक	3,109
उस्मानाबाद	55
पालघर	1,879
परभनी	457
पुणे	1,035
रायगढ़	3,837
सतारा	50
सोलापुर	259
थाइन	615
वर्धा	16
वाशिम	211
यवतमाल	881
कोल्हापुर	6
सिंधुदुर्ग	65
कुल योग	**17,529**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-IV

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को दी गई स्वीकृति

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ	1,578
3	झारखंड	2,342
4	मध्य प्रदेश	2,060
5	कर्नाटक	179
6	केरल	98
7	तेलंगाना	326
8	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**
